भारत सरकार

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

GOVERNMENT OF INDIA

NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED TRIBES

फाइल सं0 टूर/रायपुर/2015/आर.यू.–III

छठी मंजिल, 'बी' विंग, लोकनायक भवन
खान मार्केट, नई दिल्ली-110003
6TH Floor, 'B' Wing, Lok Nayak Bhawan
Khan Market, New Delhi-110003

दिनांक : 24-04-2015

सेवा में,

श्री आर.के. दुबे,
सहायक निदेशक,
राष्टीय अनुसूचित जनजाति आयोग,
क्षेत्रीय कार्यालय,
आर–26, अवन्ति विहार, सेक्टर–2,
पो0.–रविग्राम, रायपुर–492006
छत्तीसगढ़

विषयः डॉ. रामेश्वर उरांव, माननीय अध्यक्ष, राष्टीय अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा रायपुर स्थित न्यू सर्किट हाउस के सभा कक्ष में दिनांक 19.02.2015 को आयोग के रायपुर क्षेत्रीय कार्यालय के अनुसूचित जनजातियों से संबंधित चार प्रकरणों पर की गयी बैठकों के कार्यवृत्त।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या 11/02/2014–15/आर.यू. दिनांक 18.03.2015 के संदर्भ में माननीय अध्यक्ष द्वारा अनुमोदित एवं हस्ताक्षित उक्त कार्यवृत्त की मूल प्रति, संबंधित पक्षों को आवश्यक कार्रवाई हेतु, आपको संलग्न कर भेजी जा रही है।

भवदीय,

एन. बालसुब्रमणियन

(एन. बालासुब्रमणियन)
अनुसंधान अधिकारी

Copy to: –
T-SSA, NIC

डॉ. रामेश्वर उरांव, माननीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, नई दिल्ली ने रायपुर स्थित न्यू सर्किट हाउस के सभा कक्ष में दिनांक 19.02.2015 प्रातः 10:30 बजे से आयोग के रायपुर क्षेत्रीय कार्यालय में लंबित अनुसूचित जनजातियों से संबंधित चार प्रकरणों पर बैठकें ली। बैठक में शामिल अधिकारियों की सूची <u>अनुलग्नक "क"</u> पर संलग्न है। इन बैठकों का कार्यवृत्त निम्नानुसार है:–

<u>प्रकरण क्रमांक–1</u>

फाइल नं. : 2/15/2011–अत्याचार

<u>शिकायतकर्ता</u> :– रायपुर से दिनांक 31.03.2011 को दैनिक समाचार पत्र "नव भारत" में प्रकाशित समाचार **"मूक–बधिर आदिवासी बालिका से बलात्कार"** पर आयोग द्वारा स्वयमेव संज्ञान।

संबंधित विभाग :– जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक, रायपुर।

शिकायत का स्वरूप:– रायपुर से दिनांक 31.03.2011 को दैनिक समाचार पत्र "नव भारत" में **"मूक–बधिर आदिवासी बालिका से बलात्कार"** शीर्षक से समाचार प्रकाशित हुआ जिसके अनुसार राजधानी में एक मूक बधिर एवं पैर से लाचार 15 वर्षीय आदिवासी बालिका बलात्कार का शिकार हो गई। प्रकाशित समाचार के अनुसार घटना का हल्ला मचने पर आरोपी के परिवार वालों ने बालिका की मां और छोटे भाई बहन को भी धमकाया तथा पुलिस ने आरोपी अधेड़ को गिरफ्तार कर लिया है। समाचार में यह उल्लेख भी है कि घटना दो दिन पहले तरूण नगर, पंडरी, रायपुर में हुई है जिसकी रिपोर्ट सिविल लाइन थाने में लिखाई गई हैं। पुलिस के अनुसार आरोपी पड़ोसी सुल्तान पिता शेख मजिद, 45 वर्ष है, उसके घर के पास फरिश्ता कॉम्प्लेक्स में काम करने वाली अधेड़ आदिवासी महिला का परिवार रहता है। इसी परिवार की मूक– बधिर और पैर से विकलांग 15 वर्षीय बालिका घटना का शिकार हुई। बालिका की मां ने रिपोर्ट लिखाई कि 27 मार्च को उसकी बेटी घर में अकेली थी, शाम को वह घर लौटी तो आरोपी सुल्तान को उसने बलात्कार करते हुये देखा, हल्ला मचाये जाने पर आरोपी भाग गया। बालिका न तो बोल पाती है और न ही सुन सकती है, उसके दोनों पैर भी नहीं चलते, इसलिये वह आरोपी का विरोध नहीं कर पाई। आरोप है कि आरोपी पक्ष के लोगों ने आदिवासी परिवार को धमकाया, झूठे मामले में फंसाने का आरोप लगाते हुए रिपोर्ट लिखाने पर जान से मारने की धमकी दी, तब महिला ने भिलाई मे रहने वाले अपने दामाद को बुलाया। इसके बाद 30 मार्च को पीड़ित बालिका को लेकर रिश्तेदार थाने पहुंचे। एएसपी आई. एच. खान ने बताया कि आरोपी हिरासत में है, डाक्टरी परीक्षण किया गया है जिसके आधार पर जांच पड़ताल की जा रही है। आरोपी विवाहित है और छोटा–मोटा प्राइवेट काम करता है।

प्रकाशित समाचार पर आयोग द्वारा की गई कार्रवाई :– आयोग के क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर ने प्रकाशित समाचार का स्वयमेव संज्ञान लेकर अपने नोटिस क्रमांक 2/15/2011–अत्याचार दिनांक 02.5.2011 तथा दिनांक 15.07.2011 से 19.01.2015 तक 17 स्मरण पत्रों के माध्यम से जिला कलेक्टर

Dr. RAMESHWAR ORAON
Chairperson
National Commission for Scheduled Tribes
Govt. of India
New Delhi

Rameshwar Oraon

[illegible]

[illegible] गई जिसके द्वारा सुनवाई हेतु नोटिस [illegible]

प्रकरण की सुनवाई — प्रकरण की सुनवाई में श्री ए. एन. उपाध्याय, पुलिस महानिदेशक, छत्तीसगढ़ श्री ओ.पी.पाल, पुलिस अधीक्षक, रायपुर, श्री एम.डी गावरे, अपर जिला कलेक्टर, रायपुर, एवं पुलिस विभाग, छ0ग0 शासन, रायपुर के अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारीगण आयोग के माननीय अध्यक्ष के समक्ष उपस्थित हुए और प्रकरण पर जिला प्रशासन, रायपुर द्वारा की गई कार्रवाई के संबंध में अपना पक्ष रखा। श्री एम.डी गावरे, अपर जिला कलेक्टर, रायपुर, ने जानकारी दी कि रायपुर से दैनिक समाचार पत्र नव भारत में प्रकाशित समाचार "मूक–बधिर आदिवासी बालिका से बलात्कार" के संबंध में नगर पुलिस अधीक्षक, सिविल लाइन, रायपुर से विस्तृत प्रतिवेदन प्राप्त किया गया तथा पाया गया कि थाना सिविल लाइन के अप0 क्रमांक 116/11 धारा 376, 450 भादवि के आरोपी शेख सुल्तान पिता शेख मजीद निवासी तरूण नगर, पंडरी को गिरफ्तार कर प्रकरण में चालान क्रमांक 02/11 तैयार कर दिनांक 04.01.2012 को माननीय न्यायालय में पेश किया गया है, जिसका केस क्रमांक 84/12 है। मामले में माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी को दिनांक 07.11.2013 को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया गया है।

माननीय अध्यक्ष ने प्रकरण पर आयोग के कई पत्रों का उत्तर न दिए जाने को गंभीरता से लिया और अधिकारियों से इस मामले में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के सुसंगत प्रावधान न लगाए जाने का कारण जानना चाहा। इसके जवाब में श्री एम.डी गावरे, अपर जिला कलेक्टर ने कहा कि पीड़िता द्वारा अपना जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने के कारण मामले में पुलिस विभाग के अधिकारी ने अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के तहत् मामला दर्ज नहीं किया। माननीय अध्यक्ष ने अपर जिला कलेक्टर, रायपुर के जवाब से असंतोष व्यक्त करते हुये कहा कि जब जांच में इस बात का पक्का सबूत मिला है कि पीड़िता आदिवासी है तथा आरोपी गैर अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वर्ग से है और पीड़िता मूक–बधिर नाबालिग हैं तो जांच कर्ता पुलिस अधिकारी को स्वतः ही अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के तहत मामला दर्ज करना चाहिए था। ऐसा न करके पीड़िता के साथ अन्याय किया गया है जिसके कारण पीड़िता को उक्त अधिनियम के तहत मिलने वाली राहत राशि एवं मुफ्त कानूनी सलाह से वंचित होना पड़ा। उन्होंने कहा कि प्रकरण की जांच में पुलिस द्वारा संवेदनशीलता नहीं दिखाई गई तथा इससे इस बात का स्पष्ट संकेत मिलता है कि जिला प्रशासन एवं जिला पुलिस के अधिकारी अनुसूचित जनजातियों के उत्पीड़न के मामलों को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं एवं उन्हें प्रशिक्षण देकर और अधिक संवेदनशील बनाए जाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जनजातियों के उत्पीड़न के इस मामले में जिला कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक, रायपुर द्वारा **पर्यवेक्षण में चूक दिख रही है।** उन्होंने निर्देश दिया कि न्यायालय में पूरक चालान प्रस्तुत कर अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की सुसंगत धाराओं को जोड़ा जाए, पीड़िता को अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम के तहत राहत राशि उपलब्ध कराई जाए तथा पीड़िता, उसके परिवार तथा गवाहों को सुरक्षा उपलब्ध कराई जाए। श्री ए. एन. उपाध्याय, पुलिस महानिदेशक, छत्तीसगढ़ ने माननीय आयोग को आश्वासन दिया कि प्रकरण को वे स्वयं अपनी निगरानी में लेकर माननीय आयोग के निर्देशानुसार कार्रवाई करवाते हुए शीघ्र ही आयोग को अवगत करायेंगे।

Dr. RAMESHWAR ORAON
Chairperson
National Commission for Scheduled Tribes
Govt. of India
New Delhi

Rameshwar Oraon

फाइल नं. : 2/24/2011–अत्याचार

शिकायत कर्ता– रायपुर से दिनांक 9.08.2011 को "पत्रिका" समाचार पत्र में प्रकाशित समाचार।

संबंधित विभागः– पुलिस महानिदेशक, छ0ग0 शासन, रायपुर।

शिकायत का स्वरूपः– रायपुर से दिनांक 09.08.2011 को दैनिक समाचार पत्र "पत्रिका" में प्रकाशित समाचार "महिला एस.आई. का यौन उत्पीड़न– प्रतिनियुक्ति पर आए कर्नल की करतूत, आदिवासी पुलिस अफसर को किया प्रताडित" शीर्षक से समाचार प्रकाशित हुआ जिसमें छत्तीसगढ़ पुलिस में एक महिला उपनिरीक्षक (एस.आई) का यौन उत्पीड़न किये जाने का सनसनीखेज मामला उजागर होने का उल्लेख है। प्रकाशित समाचार के अनुसार सेना से राज्य पुलिस में प्रतिनियुक्ति पर आए कर्नल रैंक के अफसर ने आदिवासी महिला एस.आई को डरा– धमका कर उसका यौन शोषण करने की कोशिश की तथा महिला अफसर की शिकायत पर हुई जांच में इसकी पुष्टि भी हो चुकी है। इसके बावजूद कर्नल के खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। "पत्रिका" के पास उपलब्ध दस्तावेजों के अनुसार मामला पिछले साल अप्रैल का है। पीड़िता अफसर पीएसआई की हैसियत से चंदखुरी पुलिस अकादमी में ट्रेनिंग ले रही थी। वहां सेना से आए कर्नल जेम्स रायफल चलाने की ट्रेनिंग देते थे। इसी दौरान कर्नल जेम्स से इस पीएसआई को अकेले में बुलाकर बिना बात के डांटना और धमकी देना शुरू कर दिया। महिला अफसर के अनुसार जब उसने कर्नल जेम्स से अपनी गलती और इनके गलत व्यवहार का कारण पूछा तो उन्होंने कहा कि तुम लड़की सब जानती हो, तुम बनो मत। इसी तरह कांकेर स्थित जंगल वार ट्रेनिंग कालेज में भी प्रशिक्षण के दौरान कर्नल ने महिला अफसर पर दैहिक शोषण के लिए दबाव बनाया। समाचार पत्र में यह भी उल्लेख हुआ है कि एक साल से मामला पेंडिग है तथा पीड़िता की शिकायत पर पुलिस अकादमी के तत्कालीन उप निदेशक भरत सिंह ने मामले की जांच की। तत्काल एडीजी –प्रशिक्षण श्री गिरधारी नायक को सौंपी जांच रिपोर्ट में उन्होंने माना है कि कर्नल जेम्स पीएसआई का शारीरिक शोषण करना चाहते थे। उन्होंने यह रिपोर्ट पिछले साल 21 सितम्बर को ही एडीजी को सौंप दी थी जिसके अनुसार कर्नल जेम्स द्वारा यह जानते हुए भी कि वह एक आदिवासी युवती एवं पीएसआई है तथा उसे डराने –धमकाने, और अपने पद– प्रतिष्ठा एवं रौब दिखा कर भयभीत करके मानसिक, शारीरिक शोषण करने की नीयत से, आवेदिका के साथ अन्यायपूर्ण व्यवहार करने की पुष्टि होती है। प्रकाशित समाचार के अनुसार पीड़िता ने विभिन्न स्तरों पर उत्पीड़न की लिखित शिकायत भेजी है।

प्रकाशित समाचार पत्र पर आयोग द्वारा की गई कार्रवाईः– आयोग के क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर ने प्रकाशित समाचार का स्वयमेव संज्ञान लेकर अपने नोटिस क्रमांक 2/24/2011–अत्याचार दिनांक 17.08.2011 तथा स्मरण पत्र दिनांक 17.10.2011 के माध्यम से पुलिस महानिदेशक, रायपुर को वस्तुस्थिति प्रतिवेदन भेजने हेतु अनुरोध किया। दिनांक 11.10.2011 को पुलिस महानिरीक्षक, अअवि/अजाक, पुलिस मुख्यालय रायपुर ने अंतरिम पत्र द्वारा आयोग को सूचित किया कि प्रशिक्षु उप0 निरीक्षक, कुमारी कमला पुसाम, के द्वारा की गई शिकायत की जॉच पुलिस महानिदेशक, छ0ग0 के पत्र क्र. पुमु/डीजीपी/पी.ए./278/2011 दिनांक 27.08.2011 के अनुसार माननीय उच्चत्तम न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय की मंशानुसार गठित समिति से कराकर तथ्यात्मक प्रतिवेदन, पुलिस महानिरीक्षक, रायपुर रेंज, रायपुर, से चाहा गया है। पुलिस महानिरीक्षक, रायपुर रेंज, रायपुर के

Dr. RAMESHWAR ORAON
Chairperson
National Commission for Scheduled Tribes
Govt. of India
New Delhi

Rameshwar Oraon

उक्त समिति के गठन के लगभग [illegible] वर्ष व्यतीत होने पर भी जब पुलिस महानिदेशक, छत्तीसगढ़ से मामले की जाँच हेतु गठित समिति की रिपोर्ट तथा इस पर पुलिस विभाग द्वारा की गई कार्यवाही रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है तो पुनः आयोग के क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर ने अपने समसंख्यक पत्र दिनांक 13.04.2012 एवं दिनांक 21.05.2012 से 16.01.2015 तक 11 स्मरण पत्रों के माध्यम से पत्राचार किया किन्तु पुलिस महानिदेशक, छत्तीसगढ़, रायपुर से कोई भी प्रतिवेदन प्राप्त नहीं होने के कारण माननीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, नई दिल्ली द्वारा मामले को सुनवाई हेतु नियत किया गया।

प्रकरण की सुनवाई:– प्रकरण के सुनवाई में श्री ए. एन. उपाध्याय, पुलिस महानिदेशक एवं वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने आयोग के माननीय अध्यक्ष के समक्ष पुलिस विभाग द्वारा की गई कार्रवाई के संबंध में अपना पक्ष रखा। श्री ए. एन. उपाध्याय, पुलिस महानिदेशक ने जानकारी दी कि शिकायत की जाँच श्री भरत सिंह, उप निदेशक, छत्तीसगढ़ पुलिस अकादमी, चंदखुरी द्वारा की गई थी जिसमें आवेदिका एवं गवाहों के बयानों के आधार पर मानसिक, शारीरिक शोषण करने की नीयत से अन्यायपूर्ण व्यवहार करने की पुष्टि हुई। पुलिस महनिदेशक, छ0ग0 द्वारा उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए विशाखा मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देश के अनुसार पुलिस महानिरीक्षक रायपुर रेंज रायपुर के निर्देशन में जाँच समिति गठन किया गया। जाँच समिति द्वारा अनावेदक कर्नल जेम्स पर अपने व्यवहार से आवेदिका कुमारी कमला पुसाम को जान–बूझकर प्रताड़ित करने का दोषी पाया गया है किन्तु शारीरिक शोषण करने सहित अन्य आरोपों का दोषी नहीं पाया गया है। उक्त अधिकारी प्रतिनियुक्ति से वापस अपने मूल विभाग में जा चुके हैं। जाँच समिति का प्रतिवेदन उनके वरिष्ठ अधिकारियों को उनके विरूद्ध समुचित कार्यवाही की अनुशंसा सहित संलग्न कर पु.मु., छत्तीसगढ़ के पत्र क्रमांक डीजीपी/पीए–110/12 दिनांक 06/03/2012 द्वारा छ0ग0 शासन को प्रेषित किया गया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय ने कहा कि पूरे मामले के अवलोकन से अधिकारी द्वारा महिला कर्मचारियों के साथ कार्य– व्यवहार में संवेदनशीलता की कमी दिखती है तथा जाँच में भी उन्हें अधीनस्थ आदिवासी महिला कर्मचारी को प्रताड़ित करने का दोषी पाया गया हैं। उन्होंने पुलिस महानिदेशक से कहा कि आरोपी अधिकारी के विरूद्ध की गई जाँच रिपोर्ट तथा आरोपी अधिकारी के मूल विभाग (रक्षा मंत्रालय) को उनके विरूद्ध समुचित कार्यवाही हेतु अनुशंसा करते हुए भेजे गए पत्र की प्रतियाँ शीघ्र आयोग को भिजवाएं ताकि आयोग द्वारा उनके विरूद्ध समुचित उचित कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। पुलिस महानिदेशक ने आयोग को प्रकरण से संबंधित जाँच रिपोर्ट एवं दस्तावेजों के प्रतियाँ शीघ्र उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया।

Rameshwar Oraon

Dr. RAMESHWAR ORAON
Chairperson
National Commission for Scheduled Tribes
Govt. of India
New Delhi

[illegible]

[illegible]

<u>संबंधित विभागः</u>— पुलिस महानिदेशक, छत्तीसगढ़ और पुलिस अधीक्षक, रायपुर।

शिकायत का स्वरूपः— रायपुर से दिनांक 25.10.2013 को दैनिक समाचार पत्र "नव भारत" में "आसाराम के सत्संग से बस्तर बाला तीन साल से गायब "शीर्षक से समाचार प्रकाशित हुआ जिसमें उल्लेख किया गया था कि साइंस कॉलेज मैदान, रायपुर, छ0ग0 में आयोजित आसाराम बापू के सत्संग में परिवार के साथ आई 17 वर्षीय एक आदिवासी बाला 3 साल से गायब है। मैदान से गुम नाबालिग बालिका का पता नहीं चलने पर पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के आधार पर अज्ञात आरोपी के खिलाफ अपहरण का मामला दर्ज किया है। प्रकाशित समाचार के अनुसार पुलिस मुख्यालय तक पहुंची एक शिकायत के आधार पर अब पुलिस महानिदेशक, श्री रामनिवास यादव ने विशेष टीम बनाकर जाँच के निर्देश दिये हैं। प्रकाशित समाचार में यह भी कहा गया है कि यौन शोषण के आरोप में घिरे आसाराम बापू इन दिनों गुजरात जेल में बंद है, उनके आश्रम में संदिग्ध गतिविधियों के आरोप भी लग रहे हैं, ऐसे दौर में रायपुर के सरस्वती नगर थाने में अपराध क्रमांक 173/13 धारा 363 के तहत दर्ज अपहरण के मामले के खुलासे ने हड़कम्प मचा दिया है, आज से पहले खुद अधिकारी इस मुद्दे पर गंभीर नहीं थे जबकि कांकेर के नरहरपुर निवासी एक शिक्षक के पुत्र ने 16 जुलाई, 2010 को अपनी बहन लिलेश्वरी मंडावी (17) वर्ष के गुमने की सूचना दी थी किन्तु पुलिस ने लगातार 3 साल तक मामले को जाँच के नाम पर लटकाये रखा। इसी दौर में सुप्रीम कोर्ट के दिशा —निर्देश जारी हुये कि गुम हुये नाबालिगों का यदि 20—25 दिन तक कोई पता नहीं चले तो अपहरण का प्रकरण दर्ज किया जाये, इसी आधार पर 21 जून, 2013 को धारा 363 का मामला पंजीबद्ध किया गया, हालांकि मामला अब भी जाँच में ही लंबित है।

प्रकाशित समाचार पत्र पर आयोग द्वारा की गई कार्रवाईः— आयोग के क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर ने प्रकाशित समाचार का स्वयमेव संज्ञान लेकर अपने नोटिस क्रमांक 2/20/2013—14—अत्याचार, दिनांक 02.12.2013 तथा दिनांक 15.09.2014 से 21.01.2015 तक पाँच स्मरण पत्रों के माध्यम से पुलिस महानिदेशक और पुलिस अधीक्षक, रायपुर को वस्तुस्थिति प्रतिवेदन भेजने हेतु अनुरोध किया। पुलिस विभाग से आयोग को कोई भी प्रतिवेदन प्राप्त नहीं होने के कारण माननीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, नई दिल्ली द्वारा मामले को सुनवाई हेतु नियत किया गया।

प्रकरण की सुनवाईः— प्रकरण की सुनवाई में श्री ए. एन. उपाध्याय, पुलिस महानिदेशक, श्री ओ.पी. पाल, पुलिस अधीक्षक, रायपुर, श्री एम.डी गावरे, अपर जिला कलेक्टर, रायपुर एवं अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने आयोग के माननीय अध्यक्ष के समक्ष प्रकरण पर पुलिस विभाग द्वारा की गई कार्रवाई के संबंध मे अपना पक्ष रखा। श्री ए. एन. उपाध्याय, पुलिस महानिदेशक ने जानकारी दी कि मामले की जाँच पर पाया गया कि दिनांक 15.07.2010 को दोपहर 13.30 बजे साइंस कालेज, रायपुर में आसाराम बापू का सत्संग कार्यक्रम चल रहा था जिसमें कुमारी लिलेश्वरी मंडावी पिता चमरू राम मंडावी उम्र 17 वर्ष सा. उमरादाह, टिकरापारा थाना— नरहरपुर, जिला— कांकेर (छ0ग0) सत्संग में अपने परिजनों एवं ग्रामवासियों के साथ आई थी। सत्संग के दौरान अपने परिजनों को यह कहकर कि फ्रेश होकर आती हूँ, सत्संग स्थल से गई और वापस लौट कर नहीं आई। सूचना पर दिनांक

Rameshwar Oraon

Dr. RAMESHWAR ORAON
Chairperson
National Commission for Scheduled Tribes
Govt. of India
New Delhi

[illegible]

पुलिस महानिदेशक ने माननीय अध्यक्ष को यह भी अवगत कराया कि प्रकरण की विवेचना काल में गुमशुदा / व्यपहृता बालिका की पतासाजी लगातार की गई। जिला इस्तेहार जारी कर थानों को गुमशुदा / व्यपहृता के हुलिया सहित फोटो संलग्न कर विभिन्न थानों को जारी किया गया है। सत्संग दिनांक को उसके परिजनों के साथ आए गांव के अन्य परिचित लोगों से बारीकी से पूछ–ताछ हेतु सकूनत पर टीम भेजकर पता कराया गया किन्तु उसके संबंध में कोई सूत्र उपलब्ध नहीं हुआ। चूंकि उक्त प्रकरण की गुमशुदा / व्यपहृता आशाराम बापू के सत्संग स्थान साइंस कालेज मैदान, रायपुर से घटना दिनांक को गायब हुई है अतः आशाराम बापू से संबंधित आश्रम जो कि वी.आई.पी. रोड, लवकुश वाटिका में स्थित है, में दिनांक 2.11.2013 को वहां के प्रमुख रजत भाई सेवादार एवं अन्य संबंधित सदस्यों से बारीकी से पूछ–ताछ कर जानकारी ली गई किन्तु गुमशुदा का पता नहीं चला। अन्य शहरों में जहाँ आश्रम हैं, वहाँ से भी जानकारी ली गई किन्तु पता नही चला है। गुमशुदा / व्यपहृता की पता –तलाश के संबंध में दिनांक 04.05.2013 को आयुक्त, अहमदाबाद, सूरत एवं जोधपुर में पता करने हेतु सायबर सेल की पुलिस वेबसाइट एवं ऑल इण्डिया वेबसाइट में फोटो अपलोड कराया गया है तथा उसके मूल निवास जिला कांकेर में दिनांक 6.11.2013 को पतासाजी हेतु तहरीर दिया गया है। दिनांक 11.11.2013 को जोधपुर, राजस्थान के आशाराम बापू से जुडे प्रकरण में गिरफ्तार शिल्पी के पिता महेन्द्र कुमार गुप्ता से भी बारीकी से पूछ–ताछ की गई जिन्होंने बालिका के संबंध में कोई जानकारी नहीं होना बताया तथा दिनांक 27.01.2014 को कांकेर से रायपुर के बीच के समस्त थानों से सम्पर्क कर लगातार बालिका का छाया चित्र भेजकर पता किया गया किन्तु पता नहीं चला है। इसके अतिरिक्त बचपन बचाओ आंदोलन में दिल्ली टीम भेजकर आश्रमों में पता –तलाश की गई लेकिन उसके संबंध में कोई जानकारी नहीं मिली। पुलिस द्वारा आदिवासी बालिका की तलाश का प्रयास लगातार किया जा रहा है।

आयोग के माननीय अध्यक्ष ने प्रकरण पर पुलिस विभाग द्वारा आदिवासी लापता लड़की की तलाश हेतु किए गए प्रयासों की सराहना की तथा समय–समय पर प्रकरण की प्रगति रिपोर्ट से आयोग को अवगत कराने का अनुरोध किया। पुलिस महानिदेशक ने माननीय अध्यक्ष को आश्वासन दिया कि आदिवासी लड़की की पतासाजी के मामले में हुई प्रगति की रिपोर्ट से समय–समय पर आयोग को अवगत कराया जाएगा।

Rameshwar Oraon

Dr. RAMESHWAR ORAON
Chairperson
National Commission for Scheduled Tribes
Govt. of India
New Delhi

[illegible]

[illegible]

<u>संबंधित विभाग</u> :– जिला कलेक्टर, जांजगीर चांपा।

शिकायत का स्वरूपः– श्री घनश्याम सिंह, पिता श्री संतू सिंह, ग्राम अमोरा, तहसील अकलतरा, जिला–जांजगीर चांपा ने आयोग को शिकायत की कि उनकी निजी भूमि खसरा क्र. 1000/7, रकबा 0.30 एकड़ को उनके ग्राम में बनने जा रहे के.एस.के महानदी पावर प्लांट हेतु अन्य अधिग्रहित भूमि के साथ अपने कब्जे में लेकर घेर लिया गया है जिसके कारण वे उक्त भूमि पर पिछले तीन वर्ष से कृषि कार्य से नहीं कर पा रहे हैं। कम्पनी द्वारा चारदिवारी बना दिए जाने के कारण वे अपनी कृषि भूमि तक पहुंच भी नहीं पाते हैं। जिला प्रशासन, जांजगीर चांपा को बार–बार आवेदन देने के बाद भी उनकी भूमि को कम्पनी के कब्जे से न तो मुक्त कराया गया और न ही भूमि का उचित मुआवजा दिलाने का कार्य किया गया जिसके कारण वे मानसिक, शारीरिक तथा आर्थिक रूप से प्रताड़ित हो रहे हैं। अभ्यावेदक ने आयोग से उनकी उक्त भूमि को कम्पनी के अवैध कब्जे से मुक्त कराकर उन्हें वहां तक कृषि कार्य हेतु पहुंचने के लिए मार्ग दिलाने अथवा उचित मुआवजा शीघ्र दिलाने का अनुरोध किया।

आयोग द्वारा की गई कार्रवाईः– शिकायत प्राप्त होने के पश्चात् आयोग ने विषय पर जिला कलेक्टर, जांजगीर चांपा, छत्तीसगढ़ को नोटिस क्रमांक 3/35/2012–विकास दिनांक 14.12.2012 तथा दिनांक 22.08.2013 से 16.01.2015 तक पाँच स्मरण पत्रों के माध्यम से वस्तुस्थिति प्रतिवेदन/की गई कार्रवाई की रिपोर्ट भेजने हेतु अनुरोध किया। जिला कलेक्टर, जांजगीर चांपा, छत्तीसगढ़ से आयोग को वस्तुस्थिति प्रतिवेदन प्राप्त नहीं होने के कारण माननीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, नई दिल्ली द्वारा मामले को सुनवाई हेतु नियत किया गया।

प्रकरण की सुनवाईः– प्रकरण की सुनवाई में जिला कलेक्टर श्री ओ.पी चौधरी व्यक्तिगत रूप से बैठक में उपस्थित नहीं हुये तथा अनुपस्थिति के संबंध में आयोग को पूर्व में कोई भी सूचना नहीं दी, जिसे माननीय अध्यक्ष ने गंभीरता से लिया। तथापि सुश्री ईफ्फत जहाँ, अपर कलेक्टर, जिला कलेक्टर जांजगीर चांपा की प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित हुईं। के.एस.के महानदी पावर प्लांट के अधिकारी भी बैठक में सम्मिलित हुए। बैठक में अभ्यावेदक श्री घनश्याम सिंह स्वयं भी उपस्थित थे ।

<u>अभ्यावेदक श्री घनश्याम सिंह का पक्षः</u>–

अभ्यावेदक श्री घनश्याम सिंह ने अपने पक्ष रखते हुए आयोग को दिए गए अपने अभ्यावेदन की बातें ही दोहराईं और समस्या के न्यायसंगत निदान का अनुरोध किया।

<u>जिला प्रशासन , जांजगीर चांपा का पक्षः–</u>

जिला प्रशासन, जांजगीर चांपा की प्रतिनिधि सुश्री ईफ्फत जहाँ, अपर कलेक्टर ने जिला प्रशासन का पक्ष रखते हुये कहा कि पूर्व में अभ्यावेदक की निजी भूमि खसरा क्रमांक 1000/7, रकबा नं. 0.30 एकड़ को के.एस.के महानदी पावर प्लांट द्वारा अधिग्रहित भूमि के बाहर माना जा रहा था। इस कारण जिला प्रशासन जांजगीर चांपा द्वारा उक्त भूमि को अधिग्रहित कर भूस्वामी श्री घनश्याम

Dr. RAMESHWAR ORAON
Chairperson
National Commission for Scheduled Tribes
Govt. of India
New Delhi

Rameshwar Oraon

[illegible]

[illegible] क्रमांक 19, अ–12/2013–14 में हल्का पटवारी क्रमांक 14 के द्वारा [illegible] भूमि का दिनांक 08/03/2014 को मौके पर जाकर सीमांकन किया गया है जो आवेदक घनश्याम सिंह वल्द [illegible] सिंह वगैरह के नाम पर दर्ज है। उक्त भूमि को आवेदक ने वर्ष 2001 में धरनल उर्फ मंगलू सतनामी से पंजीकृत विक्रय पत्र से क्रय किया था जो तब से ही आवेदक के नाम पर दर्ज है। उक्त भूमि पावर कंपनी के द्वारा क्रय की गई भूमि एवं महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र के नाम पर अर्जित भूमि के बीच स्थित है जिसके कारण आवेदक की भूमि पावर कंपनी द्वारा अपनी सीमा में निर्मित बाउन्ड्रीवाल के भीतर आ गई है। उक्त कारण से आवेदक उक्त भूमि पर कृषि कार्य नहीं कर पा रहा है। चालू नक्शा में खसरा नं. 1000 के बटांकन अंकित करते समय पूर्व हल्का पटवारी के द्वारा त्रुटिवश नक्शे में गलत स्थान पर 1000/7 अंकित किया गया है। उक्त बटांकन पर मौके में राजकुमारी पति दल्लूराम की भूमि खसरा नं.1000/9 रकवा 0.40 एकड़ है। आवेदक मौके पर जहाँ काबिज है, वहाँ पर नक्शे में विभाजन नहीं हुआ है जिसके कारण उक्त भूमि को कंपनी द्वारा नहीं खरीदा गया एवं शासन द्वारा अधिग्रहित भी नहीं किया गया है।

दिनांक 12.02.2015 को जिला कलेक्टर द्वारा संबंधित पावर कंपनी के प्रतिनिधि के समक्ष में आहूत कर आवेदक की भूमि क्रय करने हेतु निर्देशित किया गया है। चूंकि आवेदक घनश्याम सिंह अनुसूचित जनजाति के सदस्य हैं, अतः उन्हें विक्रय पूर्व सक्षम अधिकारी की अनुमति की आवश्यकता होगी। इस बारे में आवेदक को मौखिक सूचना दी गई है। प्रकरण मे आवेदक घनश्याम सिंह द्वारा भूमि विक्रय अनुमति हेतु आवेदन प्रस्तुत करने पर शीघ्र अनुमति की कार्यवाही पूर्ण की जाएगी। इस संबंध में के.एस. के महानदी पावर कंपनी को भूमि क्रय करने हेतु निर्देशित किया गया है।

<u>के.एस. के महानदी पावर कंपनी का पक्षः–</u>

के.एस. के महानदी पावर कंपनी के प्रतिनिधि ने अपना पक्ष रखते हुये कहा कि कंपनी आवेदक की भूमि का मुआवजा शासन द्वारा पूर्व निर्धारित तथा के.एस. के महानदी पावर कंपनी द्वारा पूर्व में क्रय की गई भूमि की दर रुपये 17 लाख प्रति एकड़ के हिसाब से भुगतान करने को तैयार है । कंपनी के प्रतिनिधि ने यह भी कहा कि चारदिवारी का निर्माण लगभग एक वर्ष पूर्व ही किया गया है।

माननीय अध्यक्ष ने सभी पक्षों का कथन सुनने के बाद निर्देश दिया कि शासन के वर्तमान भूमि अधिग्रहण कानून के अनुसार आदिवासी भूमिस्वामी को वर्तमान बाजार दर से चार गुना राशि का भुगतान किया जाना है, अतः अभ्यावेदक को न्यायहित में उनकी उक्त भूमि के एवज में उसी अनुसार भुगतान किया जाना चाहिए। कंपनी द्वारा बाउन्ड्रीवाल बनाए जाने के कारण विगत वर्षो में आवेदक खेती नहीं कर पाया इसलिए वह क्षतिपूर्ति का भी हकदार है। सुश्री ईफ्फत जहाँ, अपर कलेक्टर, जांजगीर चांपा ने आयोग को आश्वासन किया कि इस प्रकरण में जिला कलेक्टर, जांजगीर चांपा से चर्चा की जाएगी तथा आयोग की अनुशंसा को ध्यान में रखकर अभ्यावेदक को भूमि का न्यायसंगत मुआवजा दिलाया जाएगा तथा खेती न कर पाने से हुई क्षति की पूर्ति के संबंध में कंपनी को निर्देशित किया जाएगा। माननीय अध्यक्ष ने प्रकरण पर शीघ्र कार्रवाई कर आयोग को अवगत कराने का निर्देश दिया।

Rameshwar Oraon

Dr. RAMESHWAR ORAON
Chairperson
National Commission for Scheduled Tribes
Govt. of India
New Delhi

Name & Designation — Signature

[illegible]

	Name & Designation	Signature
(I)	Shri A. N. Upadhay, In Charge ~~Chairperson~~ NCST, DHD	[signature]
(II)	" M. D. Kawre, Additional Collector Raipur 94252 24296	[signature]
(III)	" एस. के. रघुवंशी [illegible]	[signature]
(IV)	Smt Ragini Mishra. DSP (AJK)	[signature]
(V)	Prithvi Dubey TI Saraswatinagar	[signature]
(VI)	O.P. Pal SP Raipur	[signature]

NCST.

[signature] 19/2/2015 — Chairperson, NCST, New Delhi / Director NCST

[signature] 19.2.15 — Asstt. Director, NCST.

[signature] 19.2.2015 — Senior Investigator NCST.